**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 686**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**सरकारी स्कूलों का सुधार**

**686. श्री राजकुमार धूतः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में तयशुदा समय सीमा में सरकारी स्कूलों के कार्य निष्पादन तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार कब तक ऐसी रूपरेखा तैयार करने पर

विचार कर रही है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में लक्ष्‍यों तथा निर्धारित समय-सीमा के साथ विधिक रूप से लागू करने योग्‍य अधिकारों के फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकार ने शिक्षा का अधिकार के संबंध में राज्‍य के अपने नियम अधिसूचित किए हैं इसलिए राज्‍य पर समय-सीमाएं बाध्‍यकारी हैं।**

**निष्‍पादन तथा शैक्षिक स्‍तर में सुधार लाने के लिए, केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्‍यम से सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों, जिनमें महाराष्‍ट्र भी शामिल है, को प्रारंभिक ग्रेड में पठन, लेखन तथा बोध और 2014-15 में एक उप-कार्यक्र ‘‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’’ के माध्‍यम से शुरूआती गणित कार्यक्रम तथा उच्च प्राथमिक स्‍तर पर गणित और विज्ञान अध्‍यापन अधिगम में सहयोग दिया है।**

**मंत्रालय ने अन्‍य बातों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के एक उप-घटक के रूप में 09-07-2015 को राष्‍ट्रीय आविष्‍कार अभियान (आरएए) शुरू किया है ताकि 6-18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्‍चों को कक्षा में और कक्षा के बाहर दोनों के कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं के माध्‍यम से पर्यवेक्षण, प्रयोग, निष्‍कर्ष निकालने, मॉडल बनाने आदि के जरिए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित किया जा सके और इनके अध्‍ययन में लगाया जा सके।**

**इसके अतिरिक्‍त, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात में सुधार करने, शिक्षकों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन बनाए रखने हेतु उन्‍हें नियमित रूप से वार्षिक सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रदान करने, बच्‍चों को नि:शुल्‍क पाठ्यपुस्‍तकों का वितरण तथा ब्‍लॉक संसाधन केंद्रों और क्‍लस्‍टर संसाधन केंद्रों के मार्फत अध्‍यापकों को ऑन-साईट शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के 19.78 लाख पद स्‍वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 31.03.2015 तक राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा 15.59 लाख पदों पर शिक्षकों की नियुक्‍ति की जा चुकी है। राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को भी व्‍यापक रूप से बाह्य विद्यार्थी आकलन सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है ताकि विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी अंतराल का पता लगाकर सुधारात्‍मक कार्रवाई की जा सके। सर्व शिक्षा अभियान के कम्‍प्‍यूटर सहायक अधिगम (सीएएल) घटक के तहत, राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को उच्‍च प्राथमिक स्‍तर पर विज्ञान एवं गणित की ई-लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु वित्‍तीय सहायता प्रदान की गई है।**

\*\*\*\*\*